

## एनएचआरसी ने ट्रेन-स्कूल वैन की टक्कर मामले में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य सचिव और तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली (मनोहर केसरी)। स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर की घटना के 9 दिन बाद भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य सचिव और तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है। एनएचआरसी का कहना है कि यह स्वतः संज्ञान तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक ट्रेन और स्कूल वैन की कथित टक्कर के संबंध में है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दरअसल, 8 जुलाई, 2025 को तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर हो गई थी जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। कथित तौर पर जब यह घटना घटी, तब लेवल क्रॉसिंग का गेट खुला था और एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी। इसके बाद आयोग ने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाया जा सकता है इसलिए एनएचआरसी ने इस घटना में घायल हुए लोगों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति सहित 2 सप्ताह के भीतर मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 9 जुलाई, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एनएचआरसी ने कहा कि इस लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर दक्षिण रेलवे द्वारा एक अंडरपास स्वीकृत किया गया है लेकिन एक साल से जिला कलेक्टर द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है। इस दुर्घटना पर रेलवे अधिकारी समर्थन करने और इसकी पूरी जानकारी देने की बात कह रहे हैं लेकिन जाहिर है कि हम 3 बच्चों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इसका कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का झगड़ा है।



## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे और डीजीपी को भेजा नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड एवं हरियाणा पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को पानीपत में रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और पटरियों पर फेंकने के मामले में नोटिस जारी किया है।

पुलिस को 26 जून की रात को सोनीपत में हिंदू महाविद्यालय के पास रेल की पटरी पर महिला मिली थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आयोग ने कहा कि उसने 'एक

रेलगाड़ी के डिब्बे में महिला से सामूहिक बलात्कार का मामला।

मीडिया रपट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 24 जून को हरियाणा के पानीपत शहर में एक खड़ी रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में आरोपियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया। इसकी वजह से महिला का एक पैर भी रेलगाड़ी से कट गया।' आयोग ने पाया है कि अगर समाचार सही है, तो इसकी विषय-वस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रपट मांगी है।

## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.



# U.P. DGP says 238 criminals have been killed and 9,467 shot in leg in 14,973 encounters since 2017

**Mayank Kumar**

LUCKNOW

A total of 238 criminals have been killed in nearly 15,000 encounters in Uttar Pradesh since 2017, when the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party (BJP) came to power in the State, according to data shared by the police on Thursday.

“Over the past eight years, 14,973 operations have been carried out, resulting in the arrest of 30,694 criminals. Of these, 9,467 who attacked the police were shot in the leg while 238 were killed in encounters,” said Director General of Police (DGP) Rajeev Krishna.

## **‘Aggressive crackdown’**

The force has ensured an “aggressive crackdown on crime” under the Chief Minister’s directions, the DGP added.

The police chief said



Rajeev Krishna, the Director General of Police, Uttar Pradesh. FILE PHOTO

that the highest number of encounters took place in west U.P.’s Meerut zone, where 7,969 criminals were arrested and 2,911 injured. “In the Agra zone, 5,529 criminals were arrested, of whom 741 were injured, and in the Bareilly zone, 4,383 criminals were caught, of whom 921 were injured,” Mr. Krishna said in a statement.

He said that the Chief Minister had made it clear

that “criminals have no place in Uttar Pradesh. They must either give up crime or leave the State”.

The statement added that under Mr. Adityanath, U.P. had achieved the best “law enforcement record in the country”.

Responding to the police’s claims over law and order, the Opposition Congress termed many of the encounters fake.

## **‘NHRC must step in’**

“The police must also put out figures about the caste and other social details of the individuals targeted in these encounters. We believe that people from social segments seen to be against the present regime face the brunt of police action. The National Human Rights Commission (NHRC) must take cognisance of the report and seek more details,” said Shahnawaz Alam, national secretary, Congress.



## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.





## NHRC seeks report over Cuddalore train accident

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Chairman of the Railway Board, the Union Ministry of Railways, the Tamil Nadu Chief Secretary, and the Director-General of Police over the recent train accident in Cuddalore district, which claimed the lives of three schoolchildren. The Commission took *suo motu* cognisance of a media report on a passenger train's collision with a school van at a level crossing in Cuddalore on July 8.

“Reportedly, the gate was open at the level crossing, and a train was passing through when the incident occurred,” an official release from NHRC said. The Commission said that the contents of the media report, if true, raised serious concerns over violation of human rights.

## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.

## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.





## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.



NATIONAL HUMAN  
RIGHTS COMMISSION

## **Train collision in Cuddalore: NHRC takes suo motu cognisance**

**T**he National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the passenger train collision with a school van in Cuddalore district, in which three students were killed. The gates at the level crossing were kept open when a train passed through, causing the tragedy on July 8. The Commission has observed that the contents of the media reports, if true, raise serious issues of violation of human rights. NHRC has issued notices to the chairman, the railway board, the ministry of railways, as well as the chief secretary and the director general of police, calling for a detailed report within 2 weeks.



NATIONAL HUMAN  
RIGHTS COMMISSION

## **NHRC notice to TN govt, DGP, rlys on train-bus accident**

**NEW DELHI:** The NHRC on Thursday said it has issued notices to the Railway Board, the Tamil Nadu government and the state's police chief over the death of three school students after their van collided with a passenger train in Cuddalore district on July 8. The NHRC said it has taken "suo motu cognisance of media

NATIONAL HUMAN  
RIGHTS COMMISSION**SUO MOTU CASE****NHRC notice  
to railway, TN  
over collision  
of train & van****EXPRESS NEWS SERVICE**

@ Chennai

THE National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the passenger train-school van collision at Semmankuppam level crossing in Cuddalore district on July 8, resulting in the death of three children and injuries to several others.

An official statement said the collision reportedly occurred as the gate at the level crossing had been left open while the train was passing. Acting on media reports, the NHRC issued notices to the chairman of the Railway Board, the Ministry of Railways, as well as the chief secretary and director general of police, Tamil Nadu, seeking a detailed report within two weeks.

The report should also include the current medical condition of the injured. The NHRC also noted although the Southern Railway had sanctioned an underpass to replace the level crossing, the project has been delayed for over a year due to the collector's pending approval.



## NHRC seeks report on train gang rape

**Chandigarh:** Taking suo motu cognisance of media reports about a woman allegedly being gang-raped in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana and later thrown on the rail tracks, the NHRC has asked the railway ministry and Haryana DGP to furnish a status report on the incident. The victim in this case also lost her leg after a train ran over it. TNN

{ **TRAIN 'GANGRAPE'** }

## NHRC NOTICES TO RLYS, HRY DGP

**NEW DELHI:** The NHRC on Thursday said it has issued notices to the Railway Board and the Haryana police chief over reports that a woman was allegedly gang raped in an empty compartment of a stationary train in Panipat and later, thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg.

The woman is undergoing treatment at a hospital after police found her on the railway tracks near the Hindu College in Sonapat on the night of June 26.

The National Human Rights Commission (NHRC) said it has "taken suo motu cognisance of a media report that on June 24, a woman was allegedly gang raped in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana, and later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg".

**PTI**



## NHRC seeks report on Haryana gang rape

**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notice to the Haryana government and Railway Ministry in the case of a gang rape of a woman in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana.

The victim was later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg. She is being treated at a hospital after police found her on the railway tracks in Sonapat on the night of June 26.

Observing that the matter raises concerns on serious violation of human rights, the Commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation, if any, provided to her by the authorities.



# U.P. DGP says 238 criminals have been killed and 9,467 shot in leg in 14,973 encounters since 2017

**Mayank Kumar**

LUCKNOW

A total of 238 criminals have been killed in nearly 15,000 encounters in Uttar Pradesh since 2017, when the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party (BJP) came to power in the State, according to data shared by the police on Thursday.

“Over the past eight years, 14,973 operations have been carried out, resulting in the arrest of 30,694 criminals. Of these, 9,467 who attacked the police were shot in the leg while 238 were killed in encounters,” said Director General of Police (DGP) Rajeev Krishna.

## ‘Aggressive crackdown’

The force has ensured an “aggressive crackdown on crime” under the Chief Minister’s directions, the DGP added.

The police chief said



Rajeev Krishna, the Director General of Police, Uttar Pradesh. FILE PHOTO

that the highest number of encounters took place in west U.P.’s Meerut zone, where 7,969 criminals were arrested and 2,911 injured. “In the Agra zone, 5,529 criminals were arrested, of whom 741 were injured, and in the Bareilly zone, 4,383 criminals were caught, of whom 921 were injured,” Mr. Krishna said in a statement.

He said that the Chief Minister had made it clear

that “criminals have no place in Uttar Pradesh. They must either give up crime or leave the State”.

The statement added that under Mr. Adityanath, U.P. had achieved the best “law enforcement record in the country”.

Responding to the police’s claims over law and order, the Opposition Congress termed many of the encounters fake.

## ‘NHRC must step in’

s“The police must also put out figures about the caste and other social details of the individuals targeted in these encounters. We believe that people from social segments seen to be against the present regime face the brunt of police action. The National Human Rights Commission (NHRC) must take cognisance of the report and seek more details,” said Shahnawaz Alam, national secretary, Congress.







# ट्रेन के डिब्बे में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट

पुलिस महानिदेशक हरियाणा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा

पानीपत। जिले की महिला से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और हरियाणा के डीजीपी से दो सप्ताह में प्रकरण की पूरी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पीड़ित महिला को प्रदान किए गए मुआवजे की भी जानकारी मांगी है।

एनएचआरसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उधर, इस मामले में एसआईटी की तफ्तीश जारी है। एसआईटी द्वारा रेलवे कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की पहचान

- पानीपत की महिला से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर हुई थी वारदात
- एसआईटी ने रेलवे कर्मचारी समेत तीन को किया है गिरफ्तार

अभी तक नहीं की जा सकी है।

बता दें कि पानीपत के किला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 24 जून की रात को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। एसपी जीआरपी अंबाला ने एसआईटी का गठन किया था जिसमें 16 अलग-अलग टीमों लगाई थीं।

एसआईटी ने एक रेलवे कर्मचारी भजनलाल और दो अन्य आरोपी शिवम और गुलाब को गिरफ्तार कर

## पीड़िता को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था

■ पानीपत के किला क्षेत्र की रहने वाली महिला 24 जून को घर से लापता हुई थी। महिला के साथ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था। सोनीपत पहुंचने पर वह बदहवास हालत में ट्रेन से उतर गई थी और पटरियों के बीच कांटे में फंस जाने से उसका पैर भी कट गया था। 25 जून को महिला को जीआरपी सोनीपत ने पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया था। उपचार के दौरान तीन जुलाई को महिला ने चिकित्सक को दुष्कर्म होने की बात बताई। इसके बाद इसकी सूचना किला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के बयान लिए तो उसने शुरुआती बयान में पानीपत रेलवे स्टेशन पर वारदात होने की बात कही। इसके बाद किला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर जीआरपी पानीपत को भेजी। पानीपत जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू हुई।

जेल भेज दिया था। बाकी आरोपियों की पहचान करने में अभी एसआईटी को सफलता हाथ नहीं लगी है। अब मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पूरी रिपोर्ट, महिला के स्वास्थ्य और अभी तक महिला को मिले मुआवजे की जानकारी मांगी है। ब्यूरो



# ट्रेन के डिब्बे में महिला से दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट

डीजीपी हरियाणा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से दो सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा, एनएचआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

**पानीपत।** जिले की महिला से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और हरियाणा के डीजीपी से दो सप्ताह में प्रकरण की पूरी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पीड़ित महिला को प्रदान किए गए मुआवजे की भी जानकारी मांगी है।

एनएचआरसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उधर, इस मामले में एसआईटी

■ पानीपत की महिला से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर हुई थी दुष्कर्म की वारदात

■ एसआईटी ने रेलवे कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को किया है गिरफ्तार

की तफ़्तीश जारी है। एसआईटी द्वारा रेलवे कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।

बता दें कि पानीपत के किला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 24 जून की रात को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। एसपी जीआरपी अंबाला ने एसआईटी का

गठन किया था जिसमें 16 अलग-अलग टीमों लगाई थीं। एसआईटी ने एक रेलवे कर्मचारी भजनलाल और दो अन्य आरोपी शिवम और गुलाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी आरोपियों की पहचान करने में अभी एसआईटी को सफलता हाथ नहीं लगी है।

अब इस मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और डीजीपी पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने पूरी रिपोर्ट, महिला के स्वास्थ्य और अभी तक महिला को मिले मुआवजे की जानकारी मांगी है।

## वारदात के बाद पीड़िता को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था

■ पानीपत के किला क्षेत्र की रहने वाली महिला 24 जून को घर से लापता हुई थी। महिला के साथ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था। सोनीपत पहुंचने पर वह बदहवास हालत में ट्रेन से उतर गई थी और पटरियों के बीच कांटे में फंस जाने से उसका पैर भी कट गया था। 25 जून को महिला को जीआरपी सोनीपत ने पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया था। उपचार के दौरान तीन जुलाई को महिला ने चिकित्सक को दुष्कर्म होने की बात बताई। इसके

बाद इसकी सूचना किला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के बयान लिए तो उसने शुरुआती बयान में पानीपत रेलवे स्टेशन पर वारदात होने की बात कही। इसके बाद किला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर जीआरपी पानीपत को भेजी। पानीपत जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ़्तीश शुरू हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी जीआरपी अंबाला ने खुलासे के लिए एसआईटी का गठन कर 16 टीमों को लगाया था। एसआईटी ने जांच के बाद कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे में दुष्कर्म होने की पुष्टि की थी।

तीन साल के बेटे की मौत के बाद से अवसाद से जूझ रही थी पीड़िता

दिल्ली। महिला के पति ने 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 जून से उनकी पत्नी उनके बीच हुए झगड़े के बाद से लापता हैं। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि वह लगभग एक महीने पहले अपने तीन साल के बेटे की मौत के बाद से अवसाद से जूझ रही थी और 24 जून को अपने पति से झगड़े के बाद घर से चली आई थी। जब वह पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी एक आदमी आया और खाली बोगी में ले जाकर दुष्कर्म किया। एजेंसी



## पानीपत में महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में रेलवे व हरियाणा डी.जी.पी. को एन.एच.आर.सी. का नोटिस

नई दिल्ली, 17 जुलाई (प.स.): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने रेलवे बोर्ड एवं हरियाणा पुलिस प्रमुख को उन खबरों पर नोटिस जारी किए हैं जिनमें कहा गया है कि पानीपत में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया जिससे उसका एक पैर कट गया।

पुलिस को 26 जून की रात को सोनीपत में हिंदू कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर महिला मिली

थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आयोग ने पाया है कि अगर समाचार सही है तो इसकी विषय-वस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है इसलिए एन.एच.आर.सी. ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की

उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार महिला के पति ने 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 24 जून को उनके बीच हुए झगड़े के बाद से उसकी पत्नी लापता है। एन.एच.आर.सी. ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कथित तौर पर तलाशी अभियान चलाया और महिला को रेलवे ट्रैक पर पाया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि वह लगभग एक महीने पहले अपने 3 साल के बेटे की मौत

के बाद से अवसाद से जूझ रही थी और 24 जून को अपने पति से झगड़े के बाद घर से चली गई थी। बताया जा रहा है कि वह पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे एक खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में 2 और लोग उसके साथ आ गए और तीनों ने पीड़िता का यौन शोषण किया। इसके बाद आरोपी उसे सोनीपत ले गए और रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जिसके बाद एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई।



## तमिलनाडु सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को रेलवे बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में एक स्कूल बस और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में तीन छात्रों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया है, जिनमें कहा गया है कि आठ जुलाई को कुड्डलोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक स्कूल बस पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे तीन बच्चों की मौत हो और कई अन्य घायल हो गए।

## सामूहिक दुष्कर्म केस

### मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी और रेलवे बोर्ड से मांगा जवाब

पानीपत। पानीपत की महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे की स्थिति का विवरण शामिल होने की अपेक्षा की। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

बता दे कि 25 जून को महिला का सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर ट्रैक बदलने वाले कंटे में पैर आने से कट गया था। सोनीपत जीआरपी ने उसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया था। पीजीआई में डॉक्टर को महिला ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है।



प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

## धोखाधड़ी

# मानव गरिमा बचाने ढगों पर एनएचआरसी का पहरा

मा रत में ढग का अपना इतिहास है। ढगी करने के लिए भारत में विविध रूपक हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। लेकिन अब ढगी केवल धन तक सीमित नहीं रह गई। यह ढगी तो स्वास्थ के साथ होने लगी है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में झाड़ू-फूक, ओझा-सोखा और तांत्रिकों के किस्से बहुत मशहूर रहे हैं। ये लोग ढगी करते रहे हैं। बाबाओं की एक अजीब सी खेप आई जो खूब भारत को ढगे और आज भी खूब ढग रहे हैं। अतीत को झांककर देखें तो ऐसे किस्से, कहानियाँ और नाटक हमारे भारतीय लेखकों की भी सर्जना में विद्यमान हैं। इसके साथ एक और समरण आ रहा है। उपन्यास कैप्टन मीडोज टेलर का कफेसंस ऑफ ठग्स जिसका हिंदी में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ एक ढग का कबूलनामा। यह 1839 में लिखा गया उपन्यास है। ऐसा माना जाता है कि 1839 के इस सनसनीखेज ऐतिहासिक उपन्यास ने भारत की पोल खोल कर रख दी। 19वीं सदी के सबसे अजीब से गुनाहगारों की कहानी इसमें विद्यमान है, जो इस बात का खुलासा करती है कि सादे रूमाल की गाँठों से हजारों लाखों जान ढगों द्वारा ले ली गई। यह किताब 19वीं सदी में भारत के कई इलाकों की सड़कों पर मुसाफिरों की मौत की वजह बने ढगों की कहानी है। यह पुस्तक आपको भारतीय इतिहास के ऐसे अनसुने पहलू से परिचित कराती है जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा, सुना नहीं गया है। 19वीं सदी के लोगों की मानसिकता तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का सुंदर परिचय भी इस पुस्तक में है। अत्यंत दिलचस्प व रोमांचक शैली में ढगी प्रथा का वर्णन आपको इस उपन्यास में शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। इसे पढ़ना चाहिए।

अब भारत की आज की ढगी पर दृष्टि डालें तो भी फर्जी डॉक्टर की घटना कोई कम दिलचस्प नहीं है। मध्यप्रदेश के ही दमोह में मिशन अस्पताल में कॉर्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे एक फर्जी डॉक्टर का मामला



प्रकाश में आया। इसकी पहचान डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम के रूप में हुई। पहले इस महान डॉक्टर को खूब ख्याति मिली। यह अनेक ट्रिक्ट के माध्यम से प्रशंसा जुटाता रहा। बाद में पाप का घड़ भर गया और इसकी ढगी सबके सामने आ गई। धोखाधड़ी और बिना वैध मेडिकल अप्रूवल के इलाज करने में यह डॉक्टर इतना स्वयं को साध लिया कि मौत से खेलने लगा। यह स्वयं सिद्धहस्त डॉक्टर एक दिन एक आयुष्मान कार्ड पर एक मरीज की एंजियोग्राफी किया, इसने मरीज के हृदय में गंभीर ब्लॉकेज बताया। तुरंत एंजियोप्लास्टी किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान जब मरीज की हालत बिगड़ गई। घबराया। परिजन ने बताया कि हमें बाहर कर दिया गया। बहुत समय तक स्टॉफ ने पॉपिंग की। फिर वेंटिलेटर पर रखा। थोड़ी देर बाद मरीज की मौत हो गई। वह तो भला हो मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो का जिन्होंने अप्रैल में इस मामले को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दमोह के मिशन अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने खुद को ब्रिटेन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की, जिनमें से सात की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इण्डिया के प्रियंक कानूनगो की इस मामले में तारीफ की जानी चाहिए कि यह ढग डॉक्टर से नागरिकों को बचाने हेतु आगे आए। एनएचआरसी ऐसे कई कार्य देश के नागरिकों के हित में कर रहा है। आयोग ने अब प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 7 पीड़ित मरीजों के परिजनों को राहत के रूप में 10-10 लाख रुपए का भुगतान हो, अस्पताल के डॉक्टर के

साथ-साथ अस्पताल के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। दोषी पुलिस कर्मियों और सीएमएचओ, दमोह के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो। सबसे अहम् बात आयुष्मान कार्ड के जाल से बचना-बचाना भी सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग की इच्छा है कि राज्य सरकार यह सत्यापित करे कि सभी डॉक्टर कैथ लैब में काम करने के लिए योग्य हैं या नहीं। साथ ही ईओडब्ल्यू और मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) भोपाल से अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग की जांच करवाने को भी कहा।

आयोग ने सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यहां तक कह दिया है कि देशभर में कैथ लैब का सत्यापन करवाएं और सभी राज्य सरकारों को आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच करने के निर्देश जारी करें। एनएचआरसी जिस प्रकार दमोह मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लायसेंस रद्द करने की संसुति की, ठीक उसी प्रकार कायदे से देश में डॉक्टरों के कैथ लैब में काम करने के लिए योग्यता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का भी निर्देश केंद्रीय सचिव, स्वास्थ्य को देना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मामले को प्रकाश में आने पर एनएचआरसी ने राज्य सरकार को कुछ अन्य सिफारिशों की हैं। यथा-बताएं कि अस्पताल ने बीमा कराया था या नहीं? यदि हां, तो क्या मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि वितरित की गई है या नहीं, क्या सर्जरी करने, मरीजों के मेडिकल के पिछले विवरण के बारे में और किसी भी प्रासंगिक परीक्षण के परिणाम, या विशिष्ट प्रक्रिया, इसके संभावित जोखिम और लाभ और किसी भी वैकल्पिक उपचार विकल्पों के बारे में कोई जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-सीएमएचओ, दमोह के साथ साझा की गई थी

(लेखक केंद्रीय विधि पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं)



# एमजीएम की बद्दहाली पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

छत गिरने, दवा की किल्लत  
और गंदगी की शिकायत को  
माना गंभीर

15 मई को शहर के सामाजिक  
कार्यकर्ता सौरभ विष्णु की  
ओर से की गई थी शिकायत

**JAMSHEDPUR (17 July)**

: कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कालेज अस्पताल की बद्दहाल व्यवस्था पर अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान ले लिया है। 15 मई को शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ विष्णु की ओर से की गई शिकायत पर आयोग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सौरभ विष्णु ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि एमजीएम अस्पताल में छत गिरने, बिजली की लटकती तारों, गंदगी, दवा की शार्ट सप्लाई और गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मौत जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने इसे मरीजों और उनके परिजनो के मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। सौरभ द्वारा भेजी गई विस्तृत शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया है। आयोग



FILE PHOTO

## एक नजर इधर भी

**1** सौरभ द्वारा भेजी गई विस्तृत शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया है।

**2** आयोग ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया है और मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

## शिकायत में ये मांगे की गई हैं

- गिरती छतों की मरम्मत और भवन की स्थिति का मूल्यांकन.
- सभी विभागों में दवा की उपलब्धता.
- साफ-सफाई और शौचालयों की बेहतर व्यवस्था.
- महिला वार्ड में विशेष ध्यान और त्वरित इलाज.
- अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की मांग.

## पहले भी उठ चुके हैं ये सवाल

- लावारिस शवों के रखरखाव में लापरवाही.
- गर्भवती महिला की मौत
- नियमित रूप से विजली-पानी की समस्या

For more city news  
log on to  
[www.inextlive.com](http://www.inextlive.com)

## कई सवाल उठे

शिकायतकर्ता ने महिला वार्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक गर्भवती महिला की मौत इलाज नहीं मिलने के कारण हो गई। यह मानवता के साथ अन्याय है। इसके अलावा, कई बार लावारिस शवों को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि एमजीएम की हालत ऐसी हो गई है कि वहां मरीज डर के साथ इलाज कराने जाते हैं। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की तस्वीर है। यह सवाल है इसानियत का, जवाबदेही का और मौलिक अधिकारों का। आयोग की संज्ञान लेने की प्रक्रिया के बाद अब लोगों में उम्मीद जगी है कि इस बार सिर्फ खानापूर्ति नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई होगी।

ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया है और मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

## शिकायतकर्ता का आरोप

शिकायतकर्ता ने कहा कि एमजीएम

अस्पताल में हर वार्ड में गंदगी है, दवाएं नहीं मिलतीं, पंखे और लाइट खराब हैं, शौचालयों की हालत बदतर है और महिला वार्डों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। गर्मी के मौसम में मरीज बिना पंखे और सफाई के बेहाल हैं।



## Prabhat Khabar

**Jamshedpur News : एमजीएम अस्पताल की बदहाली को लेकर दायर शिकायत पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान**

<https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/jamshedpur/nhrc-took-cognizance-of-the-complaint-filed-regarding>

July 17, 2025 1:22 AM Rajesh Singh

अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन को जारी किया नोटिस

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल की बदहाली के मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ विष्णु की ओर से की गयी शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है. इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन को नोटिस जारी किया है. 15 मई को सौरभ विष्णु की ओर से आयोग को शिकायत की गयी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि एमजीएम अस्पताल में छत गिरने, बिजली की लटकती तारों, गंदगी, दवा की कम सप्लाई और गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मौत जैसी घटनाएं आम हो गयी है. उन्होंने इसे मरीजों और उनके परिजनों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया. सौरभ द्वारा भेजी गयी विस्तृत शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है. आयोग ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से जवाब तलब किया है और मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

## The Print

### पानीपत: महिला से 'सामूहिक बलात्कार' मामले में रेलवे व हरियाणा डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

<https://hindi.theprint.in/india/panipat-nhrc-issues-notice-to-railways-and-haryana-dgp-in-gang-rape-case-of-a-woman/843784/?amp>

17 July, 2025 Suresh Madhav

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड एवं हरियाणा पुलिस प्रमुख को उन खबरों पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि पानीपत में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जिससे उसका एक पैर कट गया।

पुलिस को 26 जून की रात को सोनीपत में हिंदू कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर महिला मिली थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने “एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 24 जून को हरियाणा के पानीपत शहर में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया। महिला का एक पैर ट्रेन से कट गया।”।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार सही है, तो इसकी विषय-वस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

इसलिए, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है।

आठ जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला के पति ने 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 24 जून को उनके बीच हुए झगड़े के बाद से उसकी पत्नी लापता है।

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत के आधार पर, पुलिस ने कथित तौर पर तलाशी अभियान चलाया और महिला को रेलवे ट्रैक पर पाया।

बयान में कहा गया है, “मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि वह लगभग एक महीने पहले अपने तीन साल के बेटे की मौत के बाद से अवसाद से जूझ रही थी और 24 जून को अपने पति से झगड़े के बाद घर से चली गई थी।”

बयान के अनुसार, “बताया जा रहा है कि वह पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे एक खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।”

बयान के अनुसार, बाद में दो और लोग उसके साथ आ गए और तीनों ने पीड़िता का यौन शोषण किया। इसके बाद आरोपी उसे सोनीपत ले गए और रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जिसके बाद एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई।

बयान में आगे कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

## Dainik Jagran

2013 में पंजाब से लापता कश्मीरी शाल विक्रेता मामले में एनएचआरसी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, नोटिस किया जारी

<https://www.jagran.com/jammu-and-kashmir/srinagar-nhrc-reprimanded-officials-and-issued-notice-in-the-case-of-kashmiri-shawl-seller-missing-from-punjab-in-2013-23986858.html>

Thu, 17 Jul 2025 04:38 PM (IST) Raziya Noor & Rahul Sharma

श्रीनगर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को 12 साल पहले लापता हुए कश्मीरी शॉल विक्रेता मंजूर अहमद कुमार के मामले में निष्क्रियता पर नोटिस जारी किया है। मंजूर 2013 में अमृतसर में शॉल बेचने गए थे और तब से लापता हैं। आयोग ने अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है चेतावनी दी है कि विफलता पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक कश्मीरी शॉल विक्रेता के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले में उनकी लंबी निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया, जो पिछले 12 साल से भी अधिक समय पहले पंजाब में लापता हो गया था।

लापता व्यक्ति मंजूर अहमद कुमार सीमावर्ती जिले हंदवाड़ा के दर्दाजी राजवार का निवासी है। वह मार्च 2013 में पंजाब के अमृतसर में आजीविका कमाने के लिए घर से निकला था। वहां घर-घर जाकर वह शॉल बेचने का काम किया करता था।

19 मार्च 2013 को कुमार को आखिरी बार अमृतसर में देखा गया था। उसके बाद से उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उसका परिवार एक दशक से भी अधिक समय से पीड़ा और अनिश्चितता की स्थिति में है।

कुमार के लापता मामले में सबसे पहले हंदवाड़ा के एक आरटीआई कार्यकर्ता और वकील रासिख रसूल भट की औपचारिक शिकायत के बाद अब भंग हो चुके जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (जेकेएसएचआरसी) का ध्यान आकर्षित किया हालांकि, 2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद, जेकेएसएचआरसी को भंग कर दिया गया, जिसके कारण मामला दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को स्थानांतरित कर दिया गया।

मामले की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से, एनएचआरसी ने जाँच में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। 17 अक्टूबर, 2023 को, एनएचआरसी ने हंदवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया कि वे जाँच संबंधी उठाए गए कदमों, यदि कोई हों, की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



जाँच की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद, 6 नवंबर, 2024 को एक नोटिस भेजा गया, लेकिन अधिकारी फिर से सार्थक जानकारी देने में विफल रहे, जिसे आयोग ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े मामले में उदासीनता के चिंताजनक स्तर के रूप में वर्णित किया।

अब, जुलाई 2025 में जारी अपने नवीनतम और अंतिम नोटिस में, एनएचआरसी ने अधिकारियों को लंबित रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करना और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

मंजूर के परिवार के लिए, 12 साल लंबा यह दौर दुखद, सवालों का रहा है। उनके बुजुर्ग माता-पिता और भाई-बहन ने बार-बार स्थानीय अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और मानवाधिकार निकायों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रासिख रसूल भट ने कहा, जो कानूनी रूप से परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जवाबदेही की वकालत करते हैं। एक दशक से अधिक समय से परिवार को अनिश्चितता में रहने के लिए मजबूर किया गया।

भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस गुमशुदगी को एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक मानवाधिकार चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और फेरीवालों के सामने आने वाली कमजोरियों को देखते हुए, जो अक्सर अन्य राज्यों में बिना किसी सुरक्षा जाल या औपचारिक पंजीकरण के काम करते हैं।

## IBC 24

**Bihar Latest News: जादू-टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला.. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव-डीजीपी को जारी किया नोटिस**

<https://www.ibc24.in/bihar/purnia/national-human-rights-commission-issued-notice-to-cs-and-dgp-of-bihar-3166652.html>

July 17, 2025 12:30 pm IST Satya prakash

8 जुलाई, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के एकमात्र जीवित 16 वर्षीय लड़के ने पुलिस को बताया कि लगभग 50 लोगों की भीड़ उनके घर में घुसी और उसकी मां पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया।

Bihar Latest News: पूर्णिया: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार 6 जुलाई, 2025 की रात बिहार के पूर्णिया जिले में जादू-टोना करने के संदेह में अनुसूचित जनजाति के एक ही परिवार के पांच सदस्यों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थी, उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई और शवों को जला दिया गया था।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी

आयोग के अनुसार समाचार रिपोर्ट की विषय-वस्तु यदि सच है, तो ये मानवाधिकारों के उल्लंघन का यह गंभीर मुद्दा है। इसलिए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की जांच की वर्तमान स्थिति और अपराधियों की गिरफ्तारी सहित दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

Bihar Latest News: आयोग ने बिहार सरकार को 16 वर्षीय किशोर, जो कथित तौर पर पीड़ित परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति और इस दर्दनाक घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, को परामर्श प्रदान करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

50 लोगों की भीड़ ने की हत्या

8 जुलाई, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परिवार के एकमात्र जीवित 16 वर्षीय लड़के ने पुलिस को बताया कि लगभग 50 लोगों की भीड़ उनके घर में घुसी और उसकी मां पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया। भीड़ ने पहले उसकी मां को डायन बताकर बांस के डंडों से पीटा, फिर मां को बचाने आए परिवार के बाकी सदस्यों पर भी हमला कर दिया और उसके सामने ही उन सभी की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने बाद में कथित तौर पर शवों को उनके घर से लगभग 100-150 मीटर दूर ले जाकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को शक था कि गांव के एक लड़के की मौत और बीमारी का कारण पीड़ित परिवार द्वारा जादू-टोना करना था।

## IBC 24

### स्कूल वैन-ट्रेन की टक्कर मामले में रेलवे, तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक को एनएचआरसी का नोटिस

<https://www.ibc24.in/country/nhrc-issues-notice-to-railways-tamil-nadu-government-dgp-over-school-van-train-collision-3166785.html>

July 17, 2025 1:30 pm IST Manish Naresh

नई दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक स्कूल वैन और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में तीन छात्रों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार को रेलवे बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने मीडिया में आई खबरों का संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि आठ जुलाई को कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक स्कूल वैन पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में आई खबरों में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है।

इस संबंध में आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में घायलों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का भी उल्लेख करने को कहा गया है।

दक्षिण रेलवे ने कहा है कि घटना के समय लेवल क्रॉसिंग का फाटक बंद था, लेकिन वैन चालक ने देरी से बचने के लिए गेट खोलने का आग्रह किया। वहीं, चालक और एक घायल छात्र ने दावा किया है कि फाटक खुला हुआ था।

हादसे के समय वाहन में चालक सहित चार छात्र सवार थे।

दक्षिण रेलवे ने यह भी बताया कि संबंधित लेवल क्रॉसिंग पर अंडरपास के निर्माण की स्वीकृति पूरी रेलवे निधि के साथ दी जा चुकी है, लेकिन पिछले एक साल से ज़िला कलेक्टर की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है।



## Janta se Rishta

### NHRC 28 जुलाई को पेड्डा धनवाड़ा किसान-पुलिस झड़प की खुली जांच करेगा

<https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-to-conduct-open-probe-into-pedda-dhanwada-farmer-police-clash-on-july-28-4152995>

17 July 2025 2:38 PM Payal

Hyderabad.हैदराबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) 28 जुलाई को हैदराबाद में पेड्डा धनवाड़ा घटना की खुली जाँच करेगा। एक वकील, आई रामा राव, ने आयोग से संपर्क किया और आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी ज़मीन पर इथेनॉल फैक्टरी लगाने के खिलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ़ झूठे मामले दर्ज किए और आतंक का राज चलाया। एनएचआरसी ने तेलंगाना सरकार को भेजे अपने पत्र में कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि आंदोलन से जुड़े सभी लोग आयोग के समक्ष गवाही दे सकें और ज़रूरी व्यवस्था करे। आयोग ने मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और डीजीपी डॉ. जितेंद्र को एक हफ़्ते के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा।

## IBC 24

### पानीपत: महिला से 'सामूहिक बलात्कार' मामले में रेलवे व हरियाणा डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

<https://www.ibc24.in/country/panipat-nhrc-issues-notice-to-railways-haryana-dgp-over-woman-gang-rape-case-3167299.html>

July 17, 2025 6:27 pm IST Suresh Madhav

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे बोर्ड एवं हरियाणा पुलिस प्रमुख को उन खबरों पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किये हैं, जिनमें कहा गया है कि पानीपत में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जिससे उसका एक पैर कट गया।

पुलिस को 26 जून की रात को सोनीपत में हिंदू कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर महिला मिली थी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने "एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 24 जून को हरियाणा के पानीपत शहर में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया। महिला का एक पैर ट्रेन से कट गया।"

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार सही है, तो इसकी विषय-वस्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

इसलिए, एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है।

आठ जुलाई को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला के पति ने 26 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 24 जून को उनके बीच हुए झगड़े के बाद से उसकी पत्नी लापता है।

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत के आधार पर, पुलिस ने कथित तौर पर तलाशी अभियान चलाया और महिला को रेलवे ट्रैक पर पाया।

बयान में कहा गया है, "मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि वह लगभग एक महीने पहले अपने तीन साल के बेटे की मौत के बाद से अवसाद से जूझ रही थी और 24 जून को अपने पति से झगड़े के बाद घर से चली गई थी।"

बयान के अनुसार, “बताया जा रहा है कि वह पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे एक खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।”

बयान के अनुसार, बाद में दो और लोग उसके साथ आ गए और तीनों ने पीड़िता का यौन शोषण किया। इसके बाद आरोपी उसे सोनीपत ले गए और रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जिसके बाद एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई।

बयान में आगे कहा गया है कि मामले की जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।



## News National

### तमिलनाडु स्कूल वैन हादसा : एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, रेलवे और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

<https://www.newsnationtv.com/tamilnadu-school-van-hadsa-nhrc-ne-liya-sangyan-railway-aur-rajya-sarkar-se-mangi-report--20250717131341/>

17 Jul 2025 13:30 IST

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में 8 जुलाई को हुई हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया। इस हादसे में एक स्कूल वैन की ट्रेन से टक्कर हो गई थी, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

आयोग ने इस मामले में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, तमिलनाडु के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक पैसेंजर ट्रेन एक मानवरहित लेवल क्रॉसिंग से गुजर रही थी और उसी दौरान एक स्कूल वैन वहां से पार करने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि फाटक खुला था और कोई सुरक्षा व्यवस्था मौके पर मौजूद नहीं थी। इसी कारण स्कूल वैन ट्रेन से जा टकराई।

मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने कहा कि यदि यह रिपोर्ट सत्य है तो यह गंभीर रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला बनता है। इसलिए, इसने रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के अध्यक्ष, साथ ही तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें घटना में घायल हुए व्यक्तियों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति भी शामिल हो।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस लेवल क्रॉसिंग की जगह पर एक अंडरपास बनाने की योजना पहले से ही स्वीकृत हो चुकी है, जिसे दक्षिण रेलवे द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन, पिछले एक साल से जिला प्रशासन, विशेषकर जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और जिला प्रशासन की टीम ने इस हादसे की औपचारिक जांच शुरू कर दी है, ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

## Amar Ujala

### महिला से ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तलब की रिपोर्ट

<https://www.amarujala.com/haryana/karnal/woman-gang-raped-in-train-national-human-rights-commission-summons-report-karnal-news-c-244-1-pnp1012-140457-2025-07-18>

Fri, 18 Jul 2025 02:47 AM IST Bureau

पानीपत। जिले की महिला से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और हरियाणा के डीजीपी से दो सप्ताह में प्रकरण की पूरी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही पीड़ित महिला को प्रदान किए गए मुआवजे की भी जानकारी मांगी है। एनएचआरसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उधर, इस मामले में एसआईटी की तफ्तीश जारी है। एसआईटी द्वारा रेलवे कर्मचारी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है।

पानीपत के किला थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ 24 जून की रात को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। एसपी जीआरपी अंबाला ने एसआईटी का गठन किया था जिसमें 16 अलग-अलग टीमों लगाई थीं। एसआईटी ने एक रेलवे कर्मचारी भजनलाल और दो अन्य आरोपी शिवम और गुलाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी आरोपियों की पहचान करने में अभी एसआईटी को सफलता हाथ नहीं लगी है।

अब इस मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और डीजीपी हरियाणा से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने दो सप्ताह में प्रकरण की पूरी रिपोर्ट, महिला के स्वास्थ्य और अभी तक महिला को मिले मुआवजे की जानकारी मांगी है। आयोग ने अपने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

वारदात के बाद पीड़िता को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था

पानीपत के किला क्षेत्र की रहने वाली महिला 24 जून को घर से लापता हुई थी। महिला के साथ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया था। सोनीपत पहुंचने पर वह बदहवास हालत में ट्रेन से उतर गई थी और पटरियों के बीच कांटे में फंसकर पैर कट गया था। 25 जून को महिला को जीआरपी सोनीपत ने पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया था। महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी किला थाने में दर्ज कराई थी। उपचार के दौरान तीन जुलाई को महिला ने चिकित्सक को दुष्कर्म होने की बात बताई। जिसके बाद इसकी सूचना किला थाना पुलिस को दी। पुलिस ने महिला के बयान लिए तो उसने शुरुआती बयान में पानीपत रेलवे स्टेशन पर वारदात होने की बात कही। इसके बाद किला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर जीआरपी पानीपत को भेजी। पानीपत जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी जीआरपी अंबाला ने खुलासे के लिए एसआईटी का गठन कर 16 टीमों को लगाया था। एसआईटी ने जांच के बाद कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के डिब्बे

में दुष्कर्म होने की पुष्टि की थी। साथ ही दो आरोपियों रेलवे कर्मचारी भजनलाल और एक अन्य आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को तीसरे आरोपी गुलाब को गिरफ्तार किया गया था।

सोनीपत में 25 जून को घायल अवस्था में मिली थी महिला

- 24 जून को महिला घर से निकली, उसी रात कुरुक्षेत्र में उसके साथ दुष्कर्म हुआ।
- 25 जून को महिला सोनीपत में घायल अवस्था में मिली, रेलवे लाइन पर ट्रैक के कैची में फंसकर पैर कट गया।
- एक जुलाई को किला थाना क्षेत्र में महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई।
- तीन जुलाई को महिला ने दुष्कर्म होने की बात बताई।
- चार जुलाई को किला थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर पानीपत जीआरपी को भेजी।
- 11 जुलाई को दो आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया, 12 को दोनों को दो दिन के रिमांड पर लिया।
- 12 जुलाई को तीसरे आरोपी गुलाब को गिरफ्तार किया गया।
- 13 जुलाई को तीनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।



## Dainik Jagran

2013 में पंजाब से लापता कश्मीरी शाल विक्रेता मामले में एनएचआरसी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, नोटिस किया जारी

<https://www.jagran.com/jammu-and-kashmir/srinagar-nhrc-reprimanded-officials-and-issued-notice-in-the-case-of-kashmiri-shawl-seller-missing-from-punjab-in2013-23986858.html>

Thu, 17 Jul 2025 04:38 PM (IST) Raziya Nor & Rahul Sharma

श्रीनगर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को 12 साल पहले लापता हुए कश्मीरी शॉल विक्रेता मंजूर अहमद कुमार के मामले में निष्क्रियता पर नोटिस जारी किया है। मंजूर 2013 में अमृतसर में शॉल बेचने गए थे और तब से लापता हैं। आयोग ने अधिकारियों को रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है चेतावनी दी है कि विफलता पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है जिसमें एक कश्मीरी शॉल विक्रेता के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले में उनकी लंबी निष्क्रियता पर असंतोष व्यक्त किया, जो पिछले 12 साल से भी अधिक समय पहले पंजाब में लापता हो गया था।

लापता व्यक्ति मंजूर अहमद कुमार सीमावर्ती जिले हंदवाड़ा के दर्दाजी राजवार का निवासी है। वह मार्च 2013 में पंजाब के अमृतसर में आजीविका कमाने के लिए घर से निकला था। वहां घर-घर जाकर वह शॉल बेचने का काम किया करता था।

19 मार्च 2013 को कुमार को आखिरी बार अमृतसर में देखा गया था। उसके बाद से उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उसका परिवार एक दशक से भी अधिक समय से पीड़ा और अनिश्चितता की स्थिति में है।

कुमार के लापता मामले में सबसे पहले हंदवाड़ा के एक आरटीआई कार्यकर्ता और वकील रासिख रसूल भट की औपचारिक शिकायत के बाद अब भंग हो चुके जम्मू और कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (जेकेएसएचआरसी) का ध्यान आकर्षित किया हालांकि, 2019 में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद, जेकेएसएचआरसी को भंग कर दिया गया, जिसके कारण मामला दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को स्थानांतरित कर दिया गया।

मामले की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद से, एनएचआरसी ने जाँच में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। 17 अक्टूबर, 2023 को, एनएचआरसी ने हंदवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया कि वे जाँच संबंधी उठाए गए कदमों, यदि कोई हों, की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जाँच की स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद, 6 नवंबर, 2024 को एक नोटिस भेजा गया, लेकिन अधिकारी फिर से सार्थक जानकारी देने में विफल रहे, जिसे आयोग ने संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े मामले में उदासीनता के चिंताजनक स्तर के रूप में वर्णित किया।

अब, जुलाई 2025 में जारी अपने नवीनतम और अंतिम नोटिस में, एनएचआरसी ने अधिकारियों को लंबित रिपोर्ट जमा करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा दी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि अनुपालन में विफलता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, जिसमें अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब करना और गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

मंजूर के परिवार के लिए, 12 साल लंबा यह दौर दुखद, सवालों का रहा है। उनके बुजुर्ग माता-पिता और भाई-बहन ने बार-बार स्थानीय अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और मानवाधिकार निकायों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रासिख रसूल भट ने कहा, जो कानूनी रूप से परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं और जवाबदेही की वकालत करते हैं। एक दशक से अधिक समय से परिवार को अनिश्चितता में रहने के लिए मजबूर किया गया।

भट्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस गुमशुदगी को एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक मानवाधिकार चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और फेरीवालों के सामने आने वाली कमजोरियों को देखते हुए, जो अक्सर अन्य राज्यों में बिना किसी सुरक्षा जाल या औपचारिक पंजीकरण के काम करते हैं।

## News Laundry

**उत्तर प्रदेश: 236 मुठभेड़ और एक भी दोषी नहीं, 'एनकाउंटर राज' में एनएचआरसी बना मूकदर्शक**

<https://hindi.newslaundry.com/2025/07/17/uttar-pradesh-236-encounters-and-not-a-single-convict-nhrc-remains-a-mute-spectator-in-encounter-raj>

17 Jul, 2025 Pratyush Deep

यूपी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ट्रैक रिकॉर्ड का विस्तार से अध्ययन करने पर पता चलता है कि आयोग केवल उस अस्पष्टता को ही दोहरा रहा है, जिसे दूर करने का उसका मकसद है।

यह रिपोर्ट पुलिस ज्यादतियों पर आधारित हमारी खोजी श्रृंखला का हिस्सा है। पिछली रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

5 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में आधी रात को घर में बैठे ज़ीशान हैदर का फ़ोन बजा। इस 50 साल के किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बाहर जाना है। उसे पुलिस ने कथित तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। आधे घंटे बाद उसका फोन बंद हो गया। सुबह तक, ज़ीशान की सांसें भी बंद हो गई थीं।

सरकारी बयान के अनुसार, थिथकी गांव के जंगलों में रात के समय "गौ तस्करों" के खिलाफ एक पुलिस ऑपरेशन चलाया गया, जहां मुठभेड़ में ज़ीशान को जांघ में गोली लगी और अधिक खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई।

लेकिन उसके परिवार को पुलिस का बयान रास नहीं आया।

शुरुआत में दो पुलिसकर्मियों ने परिजनों को बताया था कि ज़ीशान घायल हैं और उन्हें देवबंद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजन वहां पहुंचे, तो उन्हें सहारनपुर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां ज़ीशान की लाश मिली।

गौर करने वाली बात यह है कि ज़ीशान के पास दो लाइसेंसी रायफलें थीं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन मौत वाले दिन ही उनके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा और शस्त्र अधिनियम समेत चार एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें पांच अन्य लोगों के नाम भी थे।

ज़ीशान की पत्नी अफ़रोज़ ने इस मामले में न्याय की उम्मीद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से की, जो सुप्रीम कोर्ट के 2014 के PUCCL बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले के तहत फर्ज़ी मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच के लिए अधिकृत है।

लेकिन गहन और समयबद्ध जांच के बजाय, अफ़रोज़ को कामकाजी देरी का सामना करना पड़ा। यह मामला लगभग 14 महीने तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने रहा, जिसके बाद आयोग ने पुलिस

के बयान को मानते हुए इसे खारिज कर दिया. हालांकि, बाद में एक अदालत ने पुलिस के बयान को "हास्यास्पद" करार दिया.



## Dainik Bhaskar

महिला से गैंगरेप मामले में डीजीपी हरियाणा को नोटिस:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान; चैयरमैन रेलवे बोर्ड से भी मांगी रिपोर्ट

<https://www.bhaskar.com/local/haryana/panipat/news/panipat-woman-gangrape-case-update-haryana-news-nhrc-135467667.html>

17 Jul, 2025

हरियाणा के पानीपत की रहने वाली एक महिला के साथ कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक(DGP) को नोटिस जारी कर मामले पर 2 सप्ताह के भीतर विस्तार से रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होना अपेक्षित है।

नोटिस में मीडिया रिपोर्ट को बनाया गया आधार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), ने एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। जिसमें बताया गया है कि 24 जून, 2025 को हरियाणा के पानीपत शहर में एक खड़ी ट्रेन के खाली डिब्बे में एक महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया और बाद में अपराधियों ने उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जहां एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई।

पुलिस द्वारा 26 जून, 2025 की रात को सोनीपत में हिंदू कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक पर महिला को पाए जाने के बाद, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

इसलिए, आयोग ने रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के अध्यक्ष और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले पर 2 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पीड़िता के स्वास्थ्य की स्थिति और अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण शामिल होने की उम्मीद है।

महिला बेटे की मौत से अवसाद से गुजर रही थी

8 जुलाई 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला के पति ने 26 जून, 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी 24 जून 2025 से लापता है, जब उनका झगड़ा हुआ था। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने कथित तौर पर तलाशी अभियान चलाया और उसे रेलवे पटरियों पर पाया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया कि वह लगभग एक महीने पहले अपने तीन साल के बेटे की मौत के बाद से अवसाद से जूझ रही थी और 24 जून, 2025 को अपने पति से झगड़े के बाद घर से निकल गई थी। वह कथित तौर पर पानीपत रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे एक खड़ी ट्रेन की खाली बोगी में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ रेप किया।

बाद में, दो अन्य लोग भी शामिल हो गए और उसका यौन उत्पीड़न किया। फिर आरोपी उसे सोनीपत ले गया और उसे रेल की पटरियों पर फेंक दिया, जब एक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गुजर गई।

हरियाणा के पानीपत में ट्रेन में हुए गैंगरेप में महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई है। दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में महिला ने कहा कि बेटे की मौत के बाद मैं परेशान रहने लगी थी। 24 जून को पति शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। मैंने मना किया तो पति ने मारपीट की। साथ ही कहा कि बाहर तेरे साथ रेप होगा।

## Amar Ujala

**Delhi: बच्चों के डूबने के मामले पर NHRC की सख्ती, दिल्ली के मुख्य सचिव, CP और MCD से मांग जवाब**

<https://www.amarujala.com/delhi-ncr/nhrc-took-suo-motu-cognizance-of-drowning-incidents-of-children-in-delhi-and-greater-noida-2025-07-17>

Thu, 17 Jul 2025 09:22 AM IST Anuj Kumar

एनएचआरसी ने 7 जुलाई को दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में बच्चों के डूबने की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण मानवाधिकार उल्लंघन की चिंता जताई गई है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में छोटे बच्चों के डूबने से जुड़ीं दो घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया है। दोनों घटनाएं 7 जुलाई की हैं। पहले मामले में दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिला स्थित महेंद्र पार्क में खुले नाले में गिरने से चार साल के बच्चे की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, यह अकेली घटना नहीं है। हाल में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में खुले नालों या मैनहोलों के कारण ऐसी ही मौतें हुई हैं।

दूसरी घटना ग्रेटर नोएडा स्थित एक पार्क में हुई, जहां छह साल का एक बच्चा पानी से भरे फव्वारे में डूब गया। लोगों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (जीएनडीए) को जलजमाव की सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने निवारक कार्यवाही नहीं की।

एनएचआरसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो दोनों मामले मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता पैदा करते हैं। जवाब में आयोग ने मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में व्यापक रिपोर्ट मांगी है।

## Amar Ujala

**NHRC: क्रॉसिंग पर ट्रेन-स्कूल वैन की टक्कर मामले में एनएचआरसी सख्त; रेलवे-तमिलनाडु सरकार और DGP को थमाया नोटिस**

<https://www.amarujala.com/india-news/nhrc-notice-to-railways-tn-govt-dgp-over-train-school-van-collision-at-level-crossing-2025-07-17?src=top-subnav>

Thu, 17 Jul 2025 02:05 PM IST Shiv Shukla

एनएचआरसी ने कुड्डालोर जिले में एक यात्री ट्रेन से वैन के टकराने से हुई तीन स्कूली छात्रों की मौत के मामले में नोटिस रेलवे बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को जारी किया है। आयोग ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

तमिलनाडु के कुड्डालोर में बीती आठ जुलाई को हुए हादसे में एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड तमिलनाडु सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। यहां चेम्नकुप्पम के पास एक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही स्कूल वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई। जबकि स्कूल वैन चालक समेत 10 बच्चे घायल हो गए थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी कार्रवाई को लेकर एक बयान भी जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि उसने मीडिया में चल रही उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि 8 जुलाई को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन और एक स्कूल वैन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।

आयोग ने कहा है कि यह घटना मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, साथ ही तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है। उनसे इस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के साथ ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि इसके लिए आयोग ने सभी पक्षकारों को दो सप्ताह का समय दिया है।

कैसे हुआ था हादसा

बीती आठ जुलाई को चेम्नकुप्पम के पास ये हादसा तब हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे पटरी पार करने का प्रयास कर रही थी। वैन चालक ने ट्रैक पार करते समय यह नहीं देखा कि ट्रेन आ रही है। इस दौरान चिदंबरम जा रही एक यात्री रेलगाड़ी वैन से टकरा गई। लोगों ने बताया कि दुर्घटना के समय वैन में स्कूली बच्चे और ड्राइवर सवार थे। ट्रेन की टक्कर लगते ही मौके पर चीख पुकार मचने लगी। टक्कर की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश की। घटना के समय वाहन में चार छात्र और चालक मौजूद थे।

गेटकीपर को गिरफ्तार कर लिया गया

दक्षिणी रेलवे के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जब वैन पहुंची तो गेट बंद था। हालांकि, वैन चालक ने स्कूल पहुंचने में देरी से बचने के लिए वैन को गेट पार कराने के लिए गेटकीपर से कहा।



गेटकीपर ने उसकी बात मान भी ली, जो नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। गेटकीपर नियमों के अनुसार गेट नहीं खोल सकता था। गेटकीपर को निलंबित कर दिया गया और सेवा से उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस आपराधिक लापरवाही के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गेटकीपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, दक्षिण रेलवे ने यह भी दावा किया है कि रेलवे के पूर्ण वित्त पोषण से गेट पर एक अंडरपास को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन पिछले एक साल से जिला कलेक्टर इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

सीएम स्टालिन और रेलवे ने किया था मुआवजे का एलान

रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का एलान किया था। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने छात्रों की मौत पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के माता-पिता को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने गंभीर रूप से घायल हुए तथा उपचाराधीन लोगों को एक-एक लाख रुपये तथा मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

## Out Look

### NHRC Notices Railways And Haryana DGP Over Gangrape Case of Woman In Train Compartment

<https://www.outlookindia.com/national/nhrc-notices-railways-and-haryana-dgp-over-gangrape-case-of-woman-in-train-compartment>

7 July 2025 6:23 pm

NHRC intervenes after gruesome details surface from a alleged gang rape case in Panipat

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Railway Board and the Director General of Police (DGP) of Haryana after taking suo motu cognisance of media reports concerning the alleged gangrape of a woman inside a stationary train in Panipat, and her subsequent abandonment on railway tracks in Sonapat, where she suffered serious injuries after a train ran over her leg.

According to an NHRC statement released on Thursday, the incident took place on June 24, with the woman later found by police on June 26 near Hindu College in Sonapat. She is currently undergoing medical treatment at a hospital.

The NHRC said that the content of the media report, if true, raises serious concerns regarding the violation of human rights, prompting the Commission to demand a detailed response from both the Railway Board and Haryana Police within two weeks.

The required report must include the current health status of the victim, details of the ongoing investigation, and whether any compensation or assistance has been provided to her by the authorities.

According to a report published on July 8, the victim's husband lodged a complaint on June 26, stating that she had been missing since June 24 following a domestic quarrel. The police, acting on the complaint, launched a search operation and discovered the woman on the railway tracks.

In her statement to the police, the woman reportedly said she had been suffering from depression following the death of her three-year-old son about a month earlier. On June 24, after an argument with her husband, she left home and was sitting alone at the Panipat railway station when a man approached her and lured her into an empty coach of a stationary train, where he allegedly raped her.

Two other men reportedly joined him later, and all three sexually assaulted her inside the compartment. Following the assault, the perpetrators allegedly took her to Sonapat and threw her onto the railway tracks, where a train ran over her leg.

While an investigation is ongoing, no arrests have been made so far, confirmed NHRC.

## The Print

### NHRC notices to railways, TN govt, DGP over train-school van collision at level crossing

<https://theprint.in/india/nhrc-notices-to-railways-tn-govt-dgp-over-train-school-van-collision-at-level-crossing/2692976/>

17 July, 2025 01:01 pm PTI

New Delhi, Jul 17 (PTI) The NHRC on Thursday said it has issued notices to the Railway Board, the Tamil Nadu government and the state's police chief over the death of three school students after their van collided with a passenger train in Cuddalore district.

In a statement, the National Human Rights Commission (NHRC) said it has taken "suo motu cognisance of media reports that the passenger train collided with a school van at a level crossing in Cuddalore district of Tamil Nadu, killing three children and injuring several others on 8th July".

The Commission has observed that the content of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

The Commission has issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, as well as the chief secretary and the director general of police of Tamil Nadu, seeking a detailed report in two weeks, including the present health status of the persons who sustained injuries in the incident, the statement said.

While the Southern Railway said the level crossing was closed and the van driver insisted it be opened to avoid delay, the latter and one of the injured students claimed the gate was open.

There were four students and the driver in the vehicle when the incident happened.

An underpass is already sanctioned by Southern railway at the gate with full Railway funding, but permission for it is not being given by the District Collector for the last one year, the Southern Railways claimed.



## Tribune

### NHRC issues notices to railways, Haryana DGP over woman's 'gang rape' in train compartment

<https://www.tribuneindia.com/news/haryana/nhrc-issues-notices-to-railways-haryana-dgp-over-womans-gang-rape-in-train-compartment/amp/>

05:41 PM Jul 17, 2025 IST PTI

The commission observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday said it has issued notices to the Railway Board and the Haryana police chief over reports that a woman was allegedly gangraped in an empty compartment of a stationary train in Panipat and later, thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg.

The Tribune Subscription Banner

The woman is undergoing treatment at a hospital after police found her on the railway tracks near Hindu College in Sonapat on the night of June 26.

The NHRC, in a statement, said it has “taken suo motu cognisance of a media report that on June 24, a woman was allegedly gangraped in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana, and later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg”.

The commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights.

Therefore, it has issued notices to the Railway Board chairman and Director General of Police (DGP) of Haryana, seeking a detailed report in two weeks. The report is expected to include the status of the victim's health and compensation, if any, provided to her by authorities, the panel said.

According to the media report published on July 8, the woman's husband submitted a complaint to police on June 26, claiming that his wife was missing since June 24, after they had a quarrel. Based on the complaint, police reportedly launched a search operation and found the woman on the railway tracks, the NHRC said.

“As per the media report, the victim in her statement to the police, revealed that she had been battling depression since the death of her three-year-old son nearly a month ago and had left the house after a fight with her husband on June 24,” it said.

“She was reportedly sitting at the Panipat railway station when a man approached her and took her inside an empty bogie of a stationary train, where she was subjected to rape by him,” the statement said.

Later, two other men joined him and all three sexually assaulted the woman. The accused then took her to Sonapat and threw her on the rail tracks, following which a train ran over her leg. The investigation is reportedly underway and no arrests have so far been made, the statement added.

## India Today NE

### Congress leader Debabrata Saikia alleges human rights violations in Assam evictions, writes to NHRC

<https://www.indiatodayne.in/assam/video/congress-leader-debabrata-saikia-alleges-human-rights-violations-in-assam-evictions-writes-to-nhrc-1246038-2025-07-17>

Jul 17, 2025, 1:47 PM IST

In a strongly worded letter to the National Human Rights Commission (NHRC), Leader of Opposition in the Assam Legislative Assembly and senior Congress leader Debabrata Saikia has accused the Assam government of orchestrating systemic and unlawful eviction drives that violate constitutional and human rights protections.

Saikia's appeal outlines a comprehensive account of forced displacements, alleging that multiple indigenous, tribal, minority, and erosion-affected communities have been rendered homeless under the pretext of development, with little to no rehabilitation provided.

The Congress leader noted that communities with deep historical roots in Assam — including the Boro, Karbi, Garo, Ahom, Assamese Hindus, Bengali Muslims, and tea tribe populations — have been disproportionately affected. Citing the cultural and ancestral ties of these communities, Saikia argued that their eviction is not just unlawful but also a betrayal of Assam's multi-ethnic heritage.

"These communities are being driven out of their lands, some of which they have inhabited for generations, without due process or legal safeguards," Saikia wrote in the letter.

A major incident highlighted in the letter pertains to the July 8 eviction in Dhubri district, where nearly 10,000 Bengali Muslim residents were displaced from over 1,100 acres of land for a solar power project led by the Assam Power Distribution Company Limited (APDCL). Saikia pointed out that the displaced were relocated to flood-prone areas and that the project remains under judicial review in the Gauhati High Court.

He further alleged that the demolition flouted the Supreme Court's ruling in Writ Petition (Civil) No. 295 of 2022, which mandates strict procedural safeguards before such actions.

Saikia referred to the 2024 eviction in Katchutali, Sonapur, where two villagers were killed and 33 injured following police firing during a clearance drive in a tribal-designated area.

In another case from Mikir Bamuni, Nagaon, between 2019 and 2024, Saikia alleged that farmland was destroyed for another solar project, violating both environmental and tenancy laws.

One of the most serious allegations in Saikia's letter concerns the illegal diversion of forest land in Sivasagar and Hailakandi districts. He claimed that then forest official M.K. Yadava allowed the construction of a commando battalion camp without necessary central government approvals, violating the Forest (Conservation) Act, 1980. Although the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has reportedly ordered legal proceedings, Saikia noted that the damage to protected forest land is irreversible.

Saikia's letter points to evictions in Sixth Schedule tribal areas such as Karbi Anglong, North Cachar Hills, and Kokrajhar, where Gram Sabha consultations were allegedly bypassed, violating constitutional protections and tribal autonomy laws.

He highlighted the displacement of over 10,000 people in Hawaipur and Phuloni, and the controversial transfer of 9,000 bighas in Umrongso for a private cement company project, both executed without community approval.

Saikia documented several instances where vulnerable families were evicted without warning or resettlement:

93 families, including erosion victims, removed from Bakrikuchi (Nalbari) on June 30.

7,000 evicted from wetland areas in Goalpara.

220 families, including Christian tribal families with PMAY-G housing, evicted from Lakhimpur in July.

Ongoing evictions in Alomganj Gaon under the "Advantage Assam 2.0" industrial initiative, affecting Muslims and erosion-hit communities.

He accused the administration of targeting Christian tribal converts, in violation of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

The Congress leader cited key constitutional articles — including Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and Livelihood) — and referenced landmark Supreme Court judgments (Chameli Singh v. State of U.P., Francis Coralie Mullin v. The Administrator) to argue that the right to shelter and dignity are fundamental and inviolable.

He also noted India's obligations under various international conventions, such as the Universal Declaration of Human Rights (1948) and the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), which mandate protection of housing and livelihood rights.

Calling the government's conduct "inhumane and unconstitutional," Saikia urged the NHRC to immediately launch an inquiry under its powers outlined in the Protection of Human Rights Act, 1993. He warned that such unchecked evictions threaten the



democratic fabric of the state and risk turning Assam into “an authoritarian regime devoid of legal accountability.”

## Hindu

### Cuddalore train accident: NHRC seeks report from Railway Board, Centre, and T.N. government

<https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/cuddalore-train-accident-nhrc-seeks-report-from-railway-board-centre-and-tn-government/article69822308.ece>

July 17, 2025 01:53 pm IST Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Chairman of the Railway Board, the Union Ministry of Railways, the Tamil Nadu government's Chief Secretary, as well as the Director-General of Police over the recent train accident in Cuddalore district, which claimed the lives of three schoolchildren.

The Commission has taken suo motu cognisance of a media report stating a passenger train collided with a school van at a level crossing in Cuddalore, killing three children and injuring several others on July 8. "Reportedly, the gate was open at the level crossing, and a train was passing through when the incident occurred," an official release from the NHRC said.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights. Besides issuing notices to authorities for a detailed report within two weeks, it also sought details on the present health status of the persons who sustained injuries in the incident.

"According to the media report, carried on July 9, 2025, an underpass was sanctioned by the Southern Railway in place of this level crossing, but permission for it has not been given by the District Collector for the past one year," it said.

## Editorji

### NHRC Issues Notices Post Tamil Nadu Train-School Van Collision

<https://www.editorji.com/india-news/nhrc-reacts-tamil-nadu-trainschool-van-accident-1752737365230>

Jul 17, 2025 12:59

Indore retained its position as India's cleanest city for the eighth time, followed by Surat and Navi Mumbai, in the Swachh Survekshan 2025 results announced Thursday.

Indore retained the top position among the cleanest cities for the eighth time in a row, followed by Surat and Navi Mumbai under the 'Super Swachh League' award category in the government's annual cleanliness survey.

In the 'Swachh Shahar' category for cities with more than 10 lakh population, Ahmedabad secured the first position while Bhopal and Lucknow followed it on the next two spots in the annual survey.

The results of the Swachh Survekshan were announced on Thursday.

According to the Union Housing and Urban Affairs Ministry, 14 crore people participated in the survey through face-to-face interactions, the Swachhata App, MyGov, and social media platforms in over 4,500 cities.

A total of 78 awards were presented this year across four categories -- Super Swachh League Cities; Top three clean cities in five population categories; Special Category: Ganga Towns, Cantonment Boards, SafaiMitra Suraksha, Mahakumbh; and State Level Awards -- Promising clean city of a state or Union Territory.

Under the new category -- 'Super Swachh League' -- Noida emerged the cleanest city, followed by Chandigarh and Mysore in the three to 10 lakh population category.

President Droupadi Murmu gave away the awards to the winners at an event which was attended by Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal among others.

Talking about the 'Super Swachh League' city award category, an official in the Housing and Urban Affairs ministry said Indore, Surat and Navi Mumbai have topped the list of cleanest cities in the last few years and set new parameters in the field of cleanliness.

To promote new cities towards cleanliness, 'Swachh Shahar' category has also been introduced, the official said, adding Ahmedabad has secured the first position, followed by Bhopal and Lucknow.

"SS 2024-25 awards" has put the spotlight on the theme of reduce, reuse, recycle. Over 3,000 assessors conducted thorough inspections in every ward across the country over 45 days, the ministry said.

This year, the awards not only celebrate the top Swachh Shehar but also recognise and encourage small cities showing strong promise and progress, it added.

## Business Standard

### NHRC notices to railways, TN govt, DGP over train-school van collision

[https://www.business-standard.com/india-news/nhrc-notices-to-railways-tn-govt-dgp-over-train-school-van-collision-125071700506\\_1.html](https://www.business-standard.com/india-news/nhrc-notices-to-railways-tn-govt-dgp-over-train-school-van-collision-125071700506_1.html)

Jul 17 2025 | 1:40 PM IST

While the Southern Railway said the level crossing was closed and the van driver insisted it be opened to avoid delay, the latter and one of the injured students claimed the gate was open

The NHRC on Thursday said it has issued notices to the Railway Board, the Tamil Nadu government and the state's police chief over the death of three school students after their van collided with a passenger train in Cuddalore district.

In a statement, the National Human Rights Commission (NHRC) said it has taken "suo motu cognisance of media reports that the passenger train collided with a school van at a level crossing in Cuddalore district of Tamil Nadu, killing three children and injuring several others on 8th July".

The Commission has observed that the content of the media report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

The Commission has issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, as well as the chief secretary and the director general of police of Tamil Nadu, seeking a detailed report in two weeks, including the present health status of the persons who sustained injuries in the incident, the statement said.

While the Southern Railway said the level crossing was closed and the van driver insisted it be opened to avoid delay, the latter and one of the injured students claimed the gate was open.

There were four students and the driver in the vehicle when the incident happened.

An underpass is already sanctioned by Southern railway at the gate with full Railway funding, but permission for it is not being given by the District Collector for the last one year, the Southern Railways claimed.



## ETV Bharat

### NHRC Seeks Report On Kashmiri Hawker Missing Since 2013 In Amritsar

<https://www.etvbharat.com/en/lbharat/nhrc-seeks-report-on-kashmiri-hawker-missing-since-2013-in-amritsar-enn25071705214>

July 17, 2025 at 7:33 PM IST

The NHRC has directed Handwara police to submit a report on the disappearance of a Kashmiri hawker in Amritsar, Punjab.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Senior Superintendent of Police, Handwara, Jammu and Kashmir, to submit a report in connection with a case related to the reported missing of a Kashmiri hawker in Punjab's Amritsar in 2013.

The rights body's latest directive came after the authority concerned failed to submit the requisite report despite being asked to do so. According to the NHRC, the matter pertains to the alleged disappearance of a person. The complainant alleged that his son, Manzoor Ahmad Kumar, went missing on March 19, 2013, in Amritsar, Punjab, where he was selling Kashmiri shawls.

The complainant alleged a complete lack of information regarding the whereabouts of Manzoor Ahmad Kumar, necessitating legal attention to uncover the circumstances surrounding his disappearance, and sought the intervention of the rights body.

Notably, the NHRC, through proceedings dated January 17, 2024, had forwarded a copy of the complaint and related documents to the Senior Superintendent of Police, Handwara, directing them to submit the requisite report within two weeks. A reminder was also issued on November 6, 2024.

In response, only a forwarding letter has been received. The requisite report is still awaited from the authority concerned, as per the Rights Body.

"The Senior Superintendant of Police, Handwara, Jammu and Kashmir, is again directed to submit requisite report to the Commission within four weeks, failing which the Commission shall be constrained to invoke its powers Under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993 calling for the personal appearance of the authority concerned before the Commission," the NHRC said in its latest directive.

It may be mentioned that the present case was pending before the erstwhile Jammu and Kashmir State Human Rights Commission. The same has been transferred to the NHRC in pursuance of the Union Ministry of Home Affairs letter dated September 26, 2023.

## Tribune

### NHRC issues notices to railways, Haryana DGP over woman's 'gang rape' in train compartment

<https://www.tribuneindia.com/news/haryana/nhrc-issues-notices-to-railways-haryana-dgp-over-womans-gang-rape-in-train-compartment/>

05:41 PM Jul 17, 2025 IST PTI

The commission observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday said it has issued notices to the Railway Board and the Haryana police chief over reports that a woman was allegedly gangraped in an empty compartment of a stationary train in Panipat and later, thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg.

The woman is undergoing treatment at a hospital after police found her on the railway tracks near Hindu College in Sonapat on the night of June 26.

The NHRC, in a statement, said it has “taken suo motu cognisance of a media report that on June 24, a woman was allegedly gangraped in an empty compartment of a stationary train in Panipat city of Haryana, and later thrown on the rail tracks by the perpetrators, where a train ran over her leg”.

The commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of violation of human rights.

Therefore, it has issued notices to the Railway Board chairman and Director General of Police (DGP) of Haryana, seeking a detailed report in two weeks. The report is expected to include the status of the victim's health and compensation, if any, provided to her by authorities, the panel said.

According to the media report published on July 8, the woman's husband submitted a complaint to police on June 26, claiming that his wife was missing since June 24, after they had a quarrel. Based on the complaint, police reportedly launched a search operation and found the woman on the railway tracks, the NHRC said.

“As per the media report, the victim in her statement to the police, revealed that she had been battling depression since the death of her three-year-old son nearly a month ago and had left the house after a fight with her husband on June 24,” it said.

“She was reportedly sitting at the Panipat railway station when a man approached her and took her inside an empty bogie of a stationary train, where she was subjected to rape by him,” the statement said.

Later, two other men joined him and all three sexually assaulted the woman. The accused then took her to Sonapat and threw her on the rail tracks, following which a train ran over her leg. The investigation is reportedly underway and no arrests have so far been made, the statement added.

## Hindu

### NHRC issues notices to Haryana Police, Railway Ministry on gang rape

<https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notices-to-haryana-police-railway-ministry-on-gang-rape/article69823217.ece>

July 17, 2025 09:11 pm IST Bureau

Commission has sought a detailed report within two weeks

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday (July 17, 2025) issued notices to the Haryana government and the Railway Ministry over the recent gang rape of a woman in a stationary train in Panipat city of Haryana.

The perpetrators later pushed her onto the rail tracks, where a train ran over her leg. She is undergoing treatment at a hospital. No arrests have been made so far.

Observing that the matter was a serious violation of human rights, the commission issued notices to the Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, and the Director-General of Police, Haryana, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to include the status of the health of the victim and compensation if any, provided to her by the authorities.

According to reports, the woman's husband filed a complaint with the police on June 26, 2025, stating that his wife was missing since June 24, after they had a quarrel. Based on the complaint, the police launched a search and found her on the railway tracks near Hindu College in Sonapat on the night of June 26.

The victim, in her statement to the police, revealed that she had been battling depression since the death of her three-year-old son nearly a month ago and had left the house after a fight with her husband. She was reportedly sitting at the Panipat railway station when a man approached her and took her inside an empty bogie of a stationary train and raped her. Later, two other men also came there and sexually assaulted her. The accused then took her to Sonapat and threw her on the rail tracks.

## Hindustan Times

### NHRC pulls up DGP over delay in 2024 TN IAF accident report

<https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-pulls-up-dgp-over-delay-in-2024-tn-iaf-accident-report-101752692097902.html>

Jul 17, 2025 07:48 am IST Divya Chandrababu

NHRC warns Tamil Nadu DGP Shankar Jiwal of action for failing to report on deaths during IAF air show, citing negligence in crowd control.

The National Human Rights Commission (NHRC) has warned Tamil Nadu director general of police (DGP) Shankar Jiwal of coercive action for failing to submit a report on the incident involving the deaths of five people that occurred during the air show organised by the Indian Air Force at Marina Beach on October 6, 2024.

The air show was held to mark the IAF's 92nd foundation day and took place from 11am to 1pm. Lakhs of people had crowded on a 2 km stretch along the Bay of Bengal to watch it. Five people died due to suspected dehydration and more than 100 were hospitalized by the end of the event.

Earlier in May, the NHRC had issued a notice to the DGP seeking an Action Taken Report (ATR) based on a complaint registered by S K Saamy, advocate and chairman of the World Human Rights Commission and Rescue Centre.

The complaint alleged negligence and dereliction of duty by senior police officials which led to critical lapses in crowd control. According to the petition, these failures resulted in numerous injuries, the hospitalization of multiple spectators, and the deaths of five individuals. It demanded a time-bound, impartial inquiry and called for disciplinary action against the officials deemed responsible.

The DGP failed to meet the initial 30 June 2025 deadline for the ATR, said a statement from Saamy.

On 15 July, NHRC sent a reminder granting a six-week extension. "In this case, the Commission has directed to submit an Action Taken Report, which has not been received within the stipulated period," the NHRC said in its letter signed by Atul Kumar, assistant registrar (Law). HT has seen a copy of this letter. "Therefore, a reminder be issued to the concerned authority to submit the requisite action taken report to the Commission within a period of 06 weeks, failing which the Commission may initiate a coercive process u/s 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993," added the letter.



## PIB

### 2-day training programme on human rights for Indian Forest Service Probationers organised by the IGNFA with the support of the NHRC, India begins in Dehradun

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2145649>

17 JUL 2025 8:39PM

Inaugurating it, NHRC India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian says, citizens constitutionally duty-bound to protect and improve the natural environment supporting the State's endeavour

NHRC Secretary General, Shri Bharat Lal, highlights India's robust institutional framework to protect human rights and urges the young officers to ensure inclusion of forest-dwelling communities and protect their human rights

IGNFA Director, Dr. Jagmohan Sharma says, the training aims to integrate the principle of human dignity into environmental governance and equip the officers with related key legislative and best practices from across the country

As a part of the National Human Rights Commission's ongoing initiative to sensitise and build capacities of All India Services officers who work on the ground, on human rights, a 2-day training programme organised by the Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA) for the 2023 batch of the Indian Forest Service (IFS) probationers began in Dehradun today.

Inaugurating the programme, the NHRC, India Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian said that under Article 48A of the Constitution, while the State shall endeavour to protect and improve the environment and safeguard the forests and wildlife of the country, it is also the fundamental duty of every citizen under Article 51A (g) to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures.

Tracing the historical development on the evolution of human rights and the international perspective surrounding them, Justice Ramasubramanian highlighted the swift and steady progress in recognition and enforcement of human rights across the world beginning from Charter of Cyrus, Magna Carta, Bill of Rights to the 12th, 13th and 14th amendments to the US Constitution, French Revolution, and the Universal Declaration of Human Rights in 1948.

In this context, he also elaborated on the categorisation of human rights into four generations: the first generation comprising civil and political rights; the second generation encompassing social, economic, and cultural rights; the third generation,

often referred to as collective rights, which gained prominence following the 1992 Rio Declaration; and the fourth generation, which includes emerging rights in response to rapid technological advancements and global challenges of the 21st century. He said that there are complex ethical concerns arising from developments in artificial intelligence, biotechnology, digital privacy, and environmental sustainability, which need to be addressed.

In his keynote address, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal, highlighted India's robust institutional and constitutional framework for the protection of human rights. He said the concept of human rights is deeply rooted in the nation's civilisational and cultural ethos of empathy, compassion, non-violence, and human dignity. Citing historical examples, he noted India's tradition of providing refuge to persecuted communities and described figures like Mahatma Gandhi, Raja Ram Mohan Roy, and Dr. B. R. Ambedkar as early champions of human rights. Underscoring the role of Fundamental Rights, Directive Principles, and judicial tools like writs under Articles 32 and 226 in safeguarding people's rights, he emphasised the importance of Public Interest Litigation in protecting human rights and ensuring justice.

Shri Lal elaborated on the pivotal role of the NHRC, India, as the apex body for human rights protection, which also coordinates with the other National Commissions and State Human Rights Commissions (SHRCs), offering accessible complaint mechanisms in various official Indian languages besides English. The Commission takes suo motu cognizance of the serious issues of human rights violations, monitors human rights violations, and issues advisories. It also engages in field-level work through Special Rapporteurs, Core Groups meetings, open house discussions and Camp Sitzings promoting awareness and capacity-building. As a part of its outreach, NHRC also supports research studies and training, and conduct internship programmes. He urged young IFS officers to ensure inclusion of tribal communities and other forest-dwellers in managing forest and wildlife. They must ensure that local communities are involved in ongoing conservation efforts and respect their rights for sustainability.

Earlier, outlining the objective of the training programme, Shri Jagmohan Sharma, Director, IGNFA, said that it aims to integrate the principle of human rights and dignity into environmental governance and equip the IFS probationers with the related key legislative and best practices from across the country. He noted that India has made significant strides in the protection and promotion of human rights. He also highlighted the vital role of the NHRC in safeguarding the rights of the marginalised and vulnerable population in the country.

The training programme is spread into 13 theme-based sessions being addressed by eminent domain experts like Shri Rajiv Jain, Former NHRC Member; Shri Rajiv Kumar, Former Chief Election Commissioner; Shri Prasant Kumar, Member, CAT Srinagar; Dr S. P. Yadav, DG, International Big Cats Alliance (IBCA); Shri R. R. Rashmi, Former Spl Secretary, MoEFCC; Dr C. N. Pandey, Former PCCF (HoFF), Gujarat; Smt Meenakshi Negi, PCCF (HoFF), Karnataka; Ms Sunita Narain, DG, Centre for Science and

Environment (CSE); Shri D. K. Nim, Former Joint Secretary, NHRC; and Shri Franklin L. Khobung, Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

Last month, the NHRC organised a similar training programme for the IPS probationers in coordination with the SVPNPA, Hyderabad. Earlier, Shri Bharat Lal, SG, NHRC addressed the Indian Foreign Service probationers undergoing training at Sushma Swaraj National Institute of Foreign Service, New Delhi to sensitise them about various dimensions of human rights. He also addressed a batch of Foreign Diplomats undergoing training at Sushma Swaraj National Institute of Foreign Service, New Delhi, followed by Q&A session. With such initiatives, NHRC is strengthening human rights awareness and sensitivity among young civil servants during their initial phase of service, ensuring lasting impact.